

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस


क्रमांक रीडर/2019/432

दिनांक - 15/03/19

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 प्यारीदेवी पत्नी मगाराम जाति सुथार निवासी सुथारों की ढाणी आदर्श उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।		1 बीजाराम 2 दलाराम 3 जेताराम पिसरान फुसाराम 4 अगराराम पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी आदर्श उण्डखा 5 धनसिंह पुत्र समसिंह 6 नाथुसिंह पुत्र पनसिंह 7 जोगराजसिंह पुत्र मंगलसिंह 8 सुल्तानसिंह 9 सगतसिंह पिसरान अगरसिंह जाति राजपूत निवासी उदाणियों की ढाणी उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 874/2018		दिनांक- 15.03.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श उण्डखा पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 833/279 रकबा 24.00 बीघा व खसरा संख्या 708/279 रकबा 12.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 15/03/19

क्रमांक :- रीडर/2019/ 433-36

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्यारीदेवी पत्नी मगाराम जाति सुथार निवासी सुथारों की ढाणी आदर्श उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी बीजाराम पुत्र फुसाराम वगैराह जाति जाट निवासी आदर्श उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर